

C

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.5(86)चिस्वा/2/2006

जयपुर, दिनांक : 17.07.2013

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 24 के अन्तर्गत कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त रोग) के पदों की वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 05.03.2010 एवं 24.11.2012 में डेफर किये गये प्रकरणों को रिव्यू करने हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर निम्नांकित चिकित्सा अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त रोग) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद द्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ष
1	डा. पार्थ पाण्डे	23.08.1963	2009-10
2	डा. राजेन्द्र कुमार शर्मा	15.07.1965	2010-11

उपरोक्त पदोन्नति के फलस्वरूप निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन	नवीन पदस्थापन	विशेष विवरण
1	डा. पार्थ पाण्डे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगंजमण्डी, कोटा	जिला चिकित्सालय, बारां	रिक्त पद पर
2	डा. राजेन्द्र कुमार शर्मा	राजकीय डिस्पेंसरी, तोपखानादेश, जयपुर	सामान्य चिकित्सालय, नसीराबाद, अजमेर	रिक्त पद पर

- नोट:-
1. संबंधित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पदोन्नत अधिकारियों को पदोन्नति उपरान्त कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व बच्चों की सूचना एवं अचल सम्पत्ति का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही कार्यग्रहण करावें तथा उक्त सूचनाएँ निदेशक (जन स्वास्थ्य) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
 2. उपरोक्त चयनित अधिकारी अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर अधिकतम 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण कर निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं इस विभाग को अवगत करायेंगे।
 3. उपरोक्त चयनित अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी की पदोन्नति फारगो करने की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से



(अल्पा चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, चिकित्सा मंत्री जी।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि. एवं स्वा. विभाग, राज. जयपुर।
- 3- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
- 5- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
- 6- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन कोटा/जयपुर/अजमेर
- 7- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, बारां
- 8- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा/जयपुर/अजमेर
- 9- संबंधित चिकित्सक
- 10- कम्प्यूटर सैल।
- 11- निजी/रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव